

अबुबक्कर सिद्दीख पी०, मा०प्र०से०
सरकार के सचिव।

महालेखाकार,
झारखण्ड, राँची।

द्वारा:- आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

राँची, दिनांक 25.05.26

विषय- वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य योजनान्तर्गत "मत्स्य विपणन योजना" में मुख्य शीर्ष 2405-मछली पालन के तहत कुल मो० 209.815 लाख (दो करोड़ नौ लाख इक्यासी हजार पाँच सौ) रुपये मात्र की स्वीकृति।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबन्ध में कहना है कि राज्य सरकार द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य योजना के मत्स्य विपणन योजना के तहत बजट शीर्ष-2405-मछली पालन अंतर्गत उपबंधित राशि मो० 210.00 में से मो० 209.815 लाख (दो करोड़ नौ लाख इक्यासी हजार पाँच सौ) रू० मात्र के अनुमानित लागत पर योजना एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

यह एक पूर्व चालित योजना है। इस योजना का उद्देश्य स्वच्छ अवस्था में मछलियों तथा मछलियों के बीज परिवहन हेतु मत्स्यजीवी सहयोग समितियों अथवा उनके सदस्यों को अनुदान पर चार पहिया भारवाहक वैन उपलब्ध कराना, उपभोक्ताओं को ताजी और साफ मछली उपलब्ध कराने के उद्देश्य से खुदरा मछली विक्रेताओं को मछली बिक्री किट एवं एक्वेरियम शॉप/रंगीन मछली दुकान सज्जा के लिए उपकरण हेतु अनुदान उपलब्ध कराना है।

2. स्वीकृत राशि का व्यय निम्न मुख्य शीर्ष के लघु शीर्षों में स्वीकृत बजट उपबंध के अंतर्गत किया जायेगा जिसके लिए समुचित योजना उद्व्यय एवं बजट उपबंध प्राप्त है :

माँग सं०-53-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग)-मुख्य शीर्ष-2405-मछली पालन
(राशि लाख रू० में)

क्र०	मद एवं विपत्र कोड	स्वीकृत बजट उपबंध	स्वीकृत राशि	शेष बजट उपबंध
1	2	3	4	5
1	लघु शीर्ष-101-अन्तर्देशीय मछली पालन-उप शीर्ष-50-मत्स्य विपणन योजना-विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय-23-आपूर्ति एवं सामग्री 53S24050010150010323	80.00	79.94	0.06
2	लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-उप शीर्ष-50-मत्स्य विपणन योजना-विस्तृत शीर्ष-03- प्रशासनिक व्यय-23-आपूर्ति एवं सामग्री 53S24050078950010323	30.00	29.985	0.015
3	लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-उप शीर्ष-50-मत्स्य विपणन योजना-विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय-23-आपूर्ति एवं सामग्री 53S24050079650010323	100.00	99.89	0.11
योग :		210.00	209.815	0.185

मो० दो करोड़ नौ लाख इक्यासी हजार पाँच सौ रू० मात्र।

3. मछलियों तथा मछलियों के बीज परिवहन हेतु मत्स्यजीवी सहयोग समितियों अथवा उनके सदस्यों को अनुदान पर चार पहिया भारवाहक वैन के लिए विभागीय अनुदान 60 प्रतिशत अथवा अधिकतम मो० 4.80 लाख रू० (दोनों में से जो कम हो) दिया जायेगा। लाभुक अपनी इच्छा से चार पहिया भारवाहक वैन कय कर सकेंगे। शेष राशि, वाहन के निबंधन, बीमा आदि का व्यय लाभुक को स्वयं वहन करना होगा।

4. वित्तीय वर्ष 2020-21 में निर्गत विभागीय राज्यादेश सं० 14 रा० (विभाग) दिनांक 28.09.2020, वित्तीय वर्ष 2022-23 में निर्गत विभागीय राज्यादेश सं० 24 रा० (विभाग) दिनांक 11.11.2022, वित्तीय वर्ष 2023-24 में निर्गत विभागीय राज्यादेश सं० 11 रा० (विभाग) दिनांक 16.06.2023, वित्तीय वर्ष 2024-25 में निर्गत विभागीय राज्यादेश सं० 07 रा० (विभाग) दिनांक 19.06.2024 एवं वित्तीय वर्ष 2025-26 में निर्गत विभागीय राज्यादेश सं० 23 रा० (विभाग) दिनांक 06.10.2025 की भांति ही शहरी क्षेत्रों में एक्वेरियम शॉप/रंगीन मछली दुकान सज्जा के लिए उपकरण हेतु अनुदान दिया जाएगा। सक्षम स्तर से चयनित लाभुकों को प्रति लाभुक अधिकतम मो० 1.00 लाख रु० का उपकरणों के रूप में अनुदान कुल 13 लाभुकों के रंगीन मछली/एक्वेरियम बिक्री दुकान हेतु दिया जाएगा जिसपर विभागीय योजना का नाम अवश्य अंकित किया जाएगा।

5. वित्तीय वर्ष 2025-26 की भांति चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में भी ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के मत्स्य विक्रेता जो सड़क किनारे, चौक चौराहों, बाजार, हाट आदि जगहों पर मत्स्य विपणन का कार्य करते हैं उन्हें मछली बिक्री किट का लाभ दिया जाएगा। इस हेतु मत्स्य निदेशालय स्तर पर संयुक्त मत्स्य निदेशक (स्थापना) की अध्यक्षता में गठित कमिटी द्वारा ज्ञापांक 804 दिनांक 20.05.2025 के माध्यम से एक मछली बिक्री किट की इकाई लागत मो० 15,000/- रु० मात्र आकलित की गई है जिसमें मछली बिक्री किट की सामग्रियों की विवरणी (स्पेशिफिकेशन सहित) अंकित है।

निर्धारित स्पेशिफिकेशन के एक मछली बिक्री किट हेतु खुदरा मत्स्य विक्रेताओं को विभागीय अनुदान 95 प्रतिशत अथवा अधिकतम मो० 14,250/- रु० (दोनों में से जो कम हो) दिया जायेगा। लाभुक अपनी इच्छा से मछली बिक्री किट कय कर सकेंगे। शेष राशि का व्यय लाभुक को स्वयं वहन करना होगा।

6. सुयोग्य लाभुकों के चयन एवं योजना की Feasibility की पूरी जिम्मेवारी संबंधित जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/जिला मत्स्य पदाधिकारी/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

7. लाभुकों का चयन जिला स्तर पर इस प्रयोजनार्थ गठित समिति के द्वारा किया जायेगा। इस समिति में निम्न सदस्य होंगे -

- (i) जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/जिला मत्स्य पदाधिकारी
- (ii) जिला सहकारिता पदाधिकारी
- (iii) जिला पशुपालन पदाधिकारी
- (iv) जिला गव्य विकास पदाधिकारी
- (v) सुरक्षित जमा निर्धारण समिति हेतु मत्स्यजीवी सहयोग समितियों के सरकार द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि
- (vi) सुरक्षित जमा निर्धारण समिति हेतु प्रगतिशील मत्स्य पालकों के सरकार द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि
- (vii) जिले के वरीयतम मत्स्य प्रसार पदाधिकारी/मत्स्य प्रसार पर्यवेक्षक - सदस्य सचिव

8. लाभुकों के चयन का आधार निम्न प्रकार होगा :-

8.1 चार पहिया भारवाहक वैन के लाभुकों का चयन का आधार निम्न प्रकार होगा -

(क) लाभुक द्वारा कम से कम 8.00 लाख रु० का भार वाहक वैन खरीदने का आवेदन दिया गया हो (निदेशालय स्तर पर संयुक्त मत्स्य निदेशक (स्थापना) की अध्यक्षता में गठित कमिटी द्वारा ज्ञापांक 1099 दिनांक 03.07.2025 द्वारा आकलित)।

(ख) आवेदक/आवेदक समिति मछली के विपणन कार्य अथवा मछली के बीज का परिवहन करती हो।

(ग) आवेदक/आवेदक समिति अपना अंशदान लगाने में सक्षम हो।

(घ) आवेदक मत्स्यजीवी सहयोग समिति का सदस्य हो।

संबंधित जिले के मत्स्य प्रसार पदाधिकारी/पर्यवेक्षक द्वारा लिखित रूप में प्रतिवेदन किया जायेगा कि आवेदक मत्स्य बिक्री अथवा थोक व्यापार से जुड़ा है।

8.2 एक्वेरियम शॉप/रंगीन मछली दुकान सज्जा के लिए उपकरण हेतु अनुदान के लिए लाभुकों का चयन निम्न आधार पर होगा -

(क) आवेदक रंगीन मछली पालन/एक्वेरियम शॉप संचालन हेतु विशेष रूप से प्रशिक्षित हो।

(ख) मत्स्य प्रसार, अनुसंधान तथा प्रशिक्षण योजना में रंगीन मछली पालन के प्रशिक्षित महिलाओं को

प्राथमिकता दी जाएगी।

(ग) आवेदक अपना अंशदान लगाने में सक्षम हो।

(घ) दिव्यांग आवेदक जो कंडिका 8.2 (ख) में हों उन्हें सर्वोच्च प्राथमिकता दी जायेगी।

8.3 मछली बिक्री किट के लाभुकों का चयन का आधार निम्न प्रकार होगा -

(क) लाभुक द्वारा कम से कम मो0 15,000/- रु0 का मछली बिक्री किट खरीदने का आवेदन दिया गया हो।

(ख) आवेदक मछली के विपणन का कार्य करता हो।

(ग) आवेदक अपना अंशदान लगाने में सक्षम हो।

संबंधित जिले के मत्स्य प्रसार पदाधिकारी/पर्यवेक्षक द्वारा लिखित रूप में प्रतिवेदन किया जायेगा कि आवेदक मत्स्य विपणन से जुड़ा है।

संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया गया है। इसे ध्यान में रखते हुए योजना अंतर्गत लाभुकों के चयन में महिलाओं को प्राथमिकता दी जाए।

8.4 दिव्यांग होने की स्थिति में आवेदक को असैनिक शल्य चिकित्सक द्वारा निर्गत दिव्यांगता का प्रमाण पत्र हो।

8.5 चयनित लाभुकों की सूची पर संबंधित जिले के उपायुक्त का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

9. वैसे लाभुक जिन्हें चारपहिया भार वाहक वैन अनुदान पर दिया जायेगा उन्हें अन्य उपकरणों/मछली बिक्री किट के क्रय पर कोई अनुदान देय नहीं होगा।

10. (क) योजना के तहत चार पहिया भारवाहक वैन तथा एक्वेरियम शॉप/रंगीन मछली दुकान सज्जा के लिए उपकरण हेतु अनुदान के लिए चयनित प्रत्येक लाभुकों का Escrow Account संबंधित जिला मत्स्य पदाधिकारी के द्वारा अनिवार्य रूप से खोला जायेगा एवं अनुदान की राशि Escrow Account में ही हस्तांतरित की जायेगी। अंतिम रूप से चयनित होने के उपरांत लाभुकों को भी अपना अंशदान Escrow Account में 01 (एक) माह के अन्दर जमा करना अनिवार्य होगा। लाभुक अंशदान जमा होने के उपरांत ही लाभुकों को वाहन/उपकरण के क्रय/प्राप्त करने की अर्हता प्राप्त होगी। आवेदक/आवेदक समिति के द्वारा लाभुक अंशदान संबंधित Escrow Account में जमा कराना सुनिश्चित किया जायेगा। वाहन/उपकरण इत्यादि के आपूर्ति के उपरांत लाभुक अंशदान एवं अनुदान की राशि एकमुश्त आपूर्तिकर्ता के बैंक खाता में हस्तांतरित की जायेगी।

(ख) मछली बिक्री किट हेतु उल्लिखित स्पेशलफिकेशन (मत्स्य निदेशालय ज्ञापांक 804 दिनांक 20.05.2025 में अंकित) के लिए कम से कम मो0 15,000/- रु0 मात्र का अभिश्रव प्रस्तुत करने पर जिला मत्स्य पदाधिकारी अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी/कर्मचारी के सत्यापन उपरान्त अनुदान की राशि लाभुकों के बैंक खाते में डी0बी0टी0 की जाएगी।


(ग) इस योजना का क्रियान्वयन Blockchain Technology के माध्यम से सुचारु रूप से किया जायेगा।

11. अनुदान की राशि नियमानुसार चयनित लाभुकों के बैंक खातों में DBT के माध्यम से हस्तांतरित किया जायेगा।

12. लाभुकों के चयन के क्रम में यह सुनिश्चित हो लिया जाय कि एक ही लाभुक के लिये योजना का दोहरीकरण नहीं हो।

13. जिला मत्स्य पदाधिकारी/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अपने जिला/स्थापना के लिये इस योजना के लाभुकों की पंजी संधारित कर उसमें दर्ज लाभुक के क्रमांक एवं विभाग तथा योजना के नाम को शॉप/मछली बिक्री किट के गार्डन अम्ब्रेला तथा वाहनों पर दर्ज कराया जायेगा। नगर-निगम/नगर-पालिका/जिला परिवहन कार्यालय से शॉप/मछली बिक्री किट (यदि आवश्यक हो तो)/वाहन का निबंधन कराने एवं निर्धारित कर/शुल्क जमा करने की जिम्मेवारी लाभुक की होगी। निबंधन अथवा नगरपालिका का कर आदि का भुगतान लाभुक द्वारा किया जायेगा।

14. जिलावार निर्धारित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य परिशिष्ट - I के रूप में संलग्न है।



15. योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी निदेशक मत्स्य, जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (सभी), जिला मत्स्य पदाधिकारी (सभी) तथा सहायक मत्स्य निदेशक, अनुसंधान, राँची होंगे, जो दिये गये भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य (संलग्न परिशिष्ट - I) के अनुरूप राशि की निकासी दिये गये आवंटन के अंतर्गत संबंधित कोषागार से करेंगे।

16. राज्य स्तर पर नियंत्री पदाधिकारी निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची होंगे, जो सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड के सर्वोच्च नियंत्रण अंतर्गत समस्त दायित्वों का निर्वहन करेंगे।

17. योजनाओं का भौतिक निरीक्षण निदेशक, मत्स्य/संयुक्त मत्स्य निदेशक/उप मत्स्य निदेशक/जिला मत्स्य पदाधिकारी के द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

योजना का अनुश्रवण त्रिस्तरीय होगा। प्रथमतः क्षेत्रीय मत्स्य प्रसार पर्यवेक्षक/मत्स्य प्रसार पदाधिकारी स्थल निरीक्षण/परियोजना निरीक्षण करते हुए संबंधित जिला मत्स्य पदाधिकारी को प्रतिवेदन देंगे।

निरीक्षण का द्वितीय स्तर जिला मत्स्य पदाधिकारी का होगा। निरीक्षण का तृतीय स्तर निदेशालय का होगा। निदेशक मत्स्य द्वारा निदेशालय स्तरीय संयुक्त मत्स्य निदेशक/उप मत्स्य निदेशक/सहायक मत्स्य निदेशकों से औचक निरीक्षण कराया जाएगा। प्रत्येक निरीक्षण के उपरांत निरीक्षण प्रतिवेदन संबंधित योजना अभिलेख में अंकित किया जायेगा।

18. राशि का व्यय उपलब्ध बजट उपबंध के अन्तर्गत स्वीकृत मदों में दर्शायी गई राशि की अधिसीमा में की जाएगी।

19. स्वीकृत राशि का व्यय प्राप्त आवंटन, वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश पत्रांक-2561 दिनांक 17.04.98 द्वारा निरूपित प्रावधानों का दृढ़ता से अनुपालन करते हुए तथा वित्तीय नियमावली व कोषागार संहिता के सुसंगत नियमों एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में की जायेगी।

20. उक्त स्वीकृत्यादेश मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग की अधिसूचना सं०-सी०एस०-2/आर०-01-2005-302 दिनांक 11.03.2015 तथा अधिसूचना सं०-सी०एस०-01/आर०-04/2001/1269 दिनांक 21.09.2023 के द्वारा प्रदत्त वित्तीय शक्ति के आलोक में निर्गत किया जाता है।

21. वित्तीय वर्ष 2025-26 में इस योजना अंतर्गत स्वीकृत राशि मो० 260.00 लाख रु० मात्र का व्यय प्रतिवेदन (भौतिक, वित्तीय उपलब्धि तथा चयनित लाभुक की विवरणी सहित) निदेशक, मत्स्य के द्वारा विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

22. विषयगत योजना अंतर्गत सामग्रियों के क्रय में वित्त विभाग द्वारा स्थापित प्रक्रिया/नियमों का सुदृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

23. मत्स्य परिवहन हेतु भारवाहक वाहन का मानक निर्धारण किया जाय। भारवाहक वाहन से लाभान्वित समितियों के कार्यकलाप/आय पर impact study की जाय।

24. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

25. निर्गत स्वीकृत्यादेश विभागीय वेबसाईट www.jharkhandfisheries.org पर देखा जा सकता है।

विश्वासभाजन

(अबुबकर सिद्दीख पी०)

सरकार के सचिव

ज्ञापक :- मो०-३० यो०- II- 91/2021-22 05.05.26 (पी०) राँची, दिनांक 25.05.26
प्रतिलिपि : अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी (सभी) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव

ज्ञापांक :- म0नि0-उ0 यो0- II- 91/2021-22 0.5.17.19/ रॉची, दिनांक 25.05.26
प्रतिलिपि : अनुलग्नक सहित निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, रॉची/संयुक्त मत्स्य निदेशक/उप मत्स्य
निदेशक (सभी)/जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (सभी)/जिला
मत्स्य पदाधिकारी (सभी) एवं सहायक मत्स्य निदेशक, अनुसंधान, रॉची को सूचनार्थ एवं
आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव

ज्ञापांक :- म0नि0-उ0 यो0- II 91/2021-22 0.5.17.19/ रॉची, दिनांक 25.05.26
प्रतिलिपि : अनुलग्नक सहित योजना-सह-विकास विभाग, झारखण्ड, रॉची/आंतरिक वित्तीय
सलाहकार] कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग/सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता
विभाग के प्रधान आप्त सचिव/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त एवं उप विकास
आयुक्त/माननीय विभागीय मंत्री के प्रधान आप्त सचिव/मुख्य सचिव एवं विकास आयुक्त,
झारखण्ड, रॉची के सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव

